

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 40)

[5 दिसम्बर, 2019]

उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण
 का उपबंध करने तथा उनसे संबंधित तथा उनके
 आनुषंगिक विषयों का उपबंध
 करने के लिए
 अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “समुचित सरकार” से,—

(i) केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में केंद्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकार या उस सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ख) “स्थापना” से,—

(i) किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निकाय या प्राधिकरण या सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथापरिभाषित 2013 का 18 कोई सरकारी कंपनी और इसके अंतर्गत कोई सरकारी विभाग भी है; या

(ii) कोई कंपनी या निगमित निकाय या संगम या व्यष्टिकों का निकाय, फर्म, सहकारी या अन्य सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था अभिप्रेत है;

(ग) “कुटुंब” से रक्त या विवाह या विधि के अनुसार किए गए दत्तक ग्रहण से नातेदार व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

(घ) “समावेशी शिक्षा” से शिक्षा की कोई प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें उभयलिंगी विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ विभेद, उपेक्षा, उत्पीड़न या अभित्रास के भय के बिना शिक्षा ग्रहण करते हैं और अध्यापन और शिक्षण की प्रणाली ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित रूप से अनुकूलित की गई है;

(ङ) “संस्था” से उभयलिंगी व्यक्तियों को स्वीकार करने, उनकी देखरेख संरक्षण करने, शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी अन्य सेवा के लिए कोई संस्था, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अभिप्रेत है;

(च) “स्थानीय प्राधिकरण” से उसकी अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों के संबंध में यथास्थिति, नगरपालिक सेवाएं या मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित, नगर निगम या नगरपालिका या पंचायत या कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है;

(छ) “राष्ट्रीय परिषद्” से धारा 16 के अधीन स्थापित उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) “अंतःलिंगी विभिन्नताओं वाले व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो जन्म के समय अपने या अपनी मूल लैंगिक विशेषताओं, बाह्य जननांग, गुण-सूत्रों या हार्मोन में पुरुष या स्त्री शरीर के आदर्शी मानक से विभिन्नता उपदर्शित करता है/करती है;

(ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं; और

(ट) “उभयलिंगी व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति के नियत लिंग से मेल नहीं खाता है और इसके अंतर्गत उभय-पुरुष या उभय-स्त्री (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुनःनिधारण शाल्यक्रिया या हार्मोन चिकित्सा या लेजर चिकित्सा या ऐसी अन्य चिकित्सा करवाई हो या नहीं), अंतःलिंग विभिन्नताओं वाले व्यक्ति, लिंग-समलैंगिक और किन्नर, हिज़ा, अरावाणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

अध्याय 2

विभेद का प्रतिषेध

3. कोई व्यक्ति या स्थापन किसी उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा, विभेद के विरुद्ध अबद्ध प्रतिषेध।

(क) शैक्षणिक स्थापनों और उनकी सेवाओं का प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या उनमें अनुचित व्यवहार;

(ख) नियोजन या उपजीविका में या उसके संबंध में अनुचित व्यवहार;

(ग) नियोजन या उपजीविका का प्रत्याख्यान या समाप्ति;

(घ) स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या उनमें अनुचित व्यवहार;

(ङ) जन साधारण के उपयोग हेतु समर्पित या जन साधारण को रुढ़िजन्य रूप से उपलब्ध किन्हीं मालों, वास-सुविधा, सेवा, सुविधा, फायदा, विशेषाधिकार या अवसर तक पहुंच या उसके उपबंध या अधिभोग अथवा उनके उपयोग के संबंध में प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(च) संचलन के अधिकार के संबंध में प्रत्याख्यान या उसे जारी न रखना या उसके संबंध में अनुचित व्यवहार;

(छ) निवास करने, क्रय करने, किराए पर लेने या अन्यथा किसी संपत्ति को अधिभोग के अधिकार के संबंध में प्रत्याख्यान या उसे जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(ज) पब्लिक या प्राइवेट पद के लिए खड़े होने या उसे धारण करने के लिए अवसर का प्रत्याख्यान या जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(झ) सरकारी या प्राइवेट स्थापनों, जिनकी देखरेख या अभिरक्षा में कोई उभयलिंगी व्यक्ति हो, में पहुंच का प्रत्याख्यान या उनके हटाना या उनमें अनुचित व्यवहार करना।

अध्याय 3

उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान को मान्यता

4. (1) उभयलिंगी व्यक्ति को उस रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मान्य ठहराए जाने का अधिकार होगा।

उभयलिंगी व्यक्ति की पहचान को मान्यता।

(2) उपधारा (1) के अधीन उभयलिंगी के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति को स्वयं-अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार होगा।

पहचान के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन।

5. उभयलिंगी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को, उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, के साथ आवेदन कर सकेंगा:

पहचान के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन।

परंतु अप्राप्तवय बालक की दशा में, ऐसा आवेदन ऐसे बालक के माता या पिता अथवा संरक्षक द्वारा किया जाएगा।

पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना।

6. (1) जिला मजिस्ट्रेट, आवेदक को धारा 5 के अधीन पहचान का प्रमाणपत्र ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे व्यक्ति के लिंग को उभयलिंगी के रूप में उपदर्शित करते हुए, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना।

(2) उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग सभी शासकीय दस्तावेजों में उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाणपत्र के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।

पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी प्रमाणपत्र अधिकार प्रदत्त करेगा और उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान की मान्यता का सबूत होगा।

लिंग में परिवर्तन।

7. (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्, यदि उभयलिंगी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के रूप में अपने लिंग में परिवर्तन के लिए शल्यक्रिया करवाता है तो ऐसा व्यक्ति इस आशय के लिए उस चिकित्सा संस्था के, जिसमें उस व्यक्ति ने शल्यक्रिया करवाई है, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा

अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को पुनरीक्षित प्रमाणपत्र के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में आवेदन करेगा, जो विहित की जाए।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ आवेदन की प्राप्ति पर, और ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यता का समाधान हो जाने पर, लिंग में परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए ऐसे प्ररूप और रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) वह व्यक्ति, जिसे धारा 6 के अधीन प्रमाणपत्र या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जन्म प्रमाणपत्र और ऐसे व्यक्ति की पहचान सें संबंधित सभी अन्य शासकीय दस्तावेजों में अपने प्रथम नाम में परिवर्तन करने का हकदार होगा;

परंतु लिंग में ऐसा परिवर्तन और उपधारा (2) के अधीन जारी पुनरीक्षित प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकदारियों को प्रभावित नहीं करेगा।

अध्याय 4

सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

समुचित सरकार की 8. (1) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा बाध्यता। समाज में उन्हें समाविष्ट करने के लिए कदम उठाएंगी।

(2) समुचित सरकार ऐसे कल्याणकारी उपाय करेगी, जो उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने के लिए तथा उस सरकार द्वारा विरचित कल्याणकारी स्कीमों तक उनकी पहुंच को सुकर बनाने के लिए विहित किए जाएं।

(3) समुचित सरकार ऐसे कल्याणकारी ऐसी स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करेगी जो उभयलिंगी संवेदी, लंछन न लगाने वाले तथा गैर-विभेदकारी हैं।

(4) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के उद्धार, संरक्षण और पुनर्वास हेतु कदम उठाएंगी।

(5) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलापों में भाग लेने के अधिकार का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए समुचित उपाय करेगी।

अध्याय 5

स्थापनों और अन्य व्यक्तियों की बाध्यता

नियोजन में विभेद न 9. कोई स्थापन, नियोजन, जिसके अंतर्गत भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुदूद हैं किंतु यह उस तक ही होना। सीमित नहीं है, के संबंध में किसी उभयलिंगी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं करेगा।

स्थापनों की 10. प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और उभयलिंगी व्यक्तियों बाध्यताएं। को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगा, जो विहित की जाएं।

शिकायत निवारण 11. प्रत्येक स्थापन, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र। शिकायत अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा।

निवास का 12. (1) किसी बालक को उसके माता-पिता से या उसके निकट कुटुंब से उसके उभयलिंगी होने के आधार अधिकार। पर, ऐसे बालक के हित में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना, पृथक नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक उभयलिंगी व्यक्ति को,—

(क) उस गृहस्थी में जहां उसके माता या पिता या निकट कुटुंब के सदस्य निवास करते हैं, निवास का अधिकार होगा;

(ख) ऐसे गृहस्थी या उसके किसी भाग से अपवर्जित न करने का अधिकार होगा;

(ग) ऐसे गृहस्थी की सुविधाओं का गैर-विभेदकारी रीति में उपयोग करने का अधिकार होगा।

(3) जहां किसी उभयलिंगी के माता या पिता या उसके निकट कुटुंब का सदस्य उसकी देखभाल करने में असमर्थ है, वहां सक्षम न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखे जाने का निदेश देगा।

अध्याय 6

उभयलिंगी व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

13. समुचित सरकार द्वारा वित्तपोषित या मान्यताप्राप्त प्रत्येक शैक्षिक संस्था समावेशी शिक्षा और क्रीड़ा, मनोरंजन और अवकाश क्रियाकलापों के लिए उभयलिंगी व्यक्ति को बिना किसी विभेद के अन्य व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराएगी।

शैक्षिक संस्थाओं की उभयलिंगी व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता।

14. समुचित सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए जीविका को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, कल्याणकारी स्कीमें तथा कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत वृत्तिक प्रशिक्षण तथा स्व-रोजगार भी हैं, बनाएगी।

वृत्तिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार।

15. समुचित सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं।

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा इस निमित्त जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए सीरम निगरानी संचालित करने के लिए पृथक् मानव प्रतिरक्षा अल्पता विधाण सीरम निगरानी केन्द्रों की स्थापना करना;

(ख) चिकित्सा देखरेख सुविधा, जिसके अंतर्गत लिंग पुनः नियतन शल्यक्रिया और हार्मोन संबंधी उपचार भी है, प्रदान करना;

(ग) पूर्व और पश्चात् लिंग पुनः नियतन शल्यक्रिया और हार्मोन चिकित्सा परामर्श;

(घ) वर्ल्ड प्रोफेसन एसोसिएशन फार ट्रांसजेंडर हेल्थ गाइड लाइंस के अनुसार लिंग पुनः नियतन शल्यक्रिया से संबंधित स्वास्थ्य मैनुअल निकालना;

(ङ) चिकित्सकों के लिए उनके विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्रों पर ध्यान देने के लिए चिकित्सा पाठ्यचर्या और अनुसंधान का पुनर्विलोकन करना;

(च) अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं तथा केन्द्रों में उभयलिंगी व्यक्तियों तक पहुंच को सुकर बनाना;

(छ) उभयलिंगी व्यक्तियों की समग्र बीमा योजना द्वारा लिंग पुनः नियतन शल्यक्रिया, हार्मोन चिकित्सा, लेजर चिकित्सा या किन्हीं अन्य स्वास्थ्य मुद्रों पर चिकित्सा व्यय को चुकाने के लिए उपबंध।

अध्याय 7

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्

16. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने और सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद् का गठन करेगी।

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्।

(2) राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भारसाधक केन्द्रीय मंत्री, अध्यक्ष, पदेन;

(ख) सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भारसाधक राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन;

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा विधि कार्य विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग, प्रत्येक से भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन;

(ङ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रत्येक में से भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि, सदस्य पदेन;

(च) चक्रानुक्रम से राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक-एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन;

(छ) उभयलिंगी समुदाय के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से चक्रानुक्रम से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से एक-एक, नामनिर्दिष्ट किया जाए, सदस्य;

(ज) उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य; और

(झ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में कार्रवाई करने वाला भारत सरकार का संयुक्त सचिव, सदस्य-सचिव, पदेन।

(३) पदने सदस्य से भिन्न, राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परिषद् के कृत्य।

17. राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित कृत्यों को करेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार को उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाएं तैयार करने हेतु परामर्श देना;

(ख) उभयलिंगी व्यक्तियों की समानता और पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के लिए परिकल्पित नीतियों और कार्यक्रमों के समाधात की मानीटरी करना तथा उसका मूल्यांकन करना;

(ग) सरकार के सभी विभागों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, जो उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, के क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करना और समन्वय करना;

(घ) उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करना;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

18. जो कोई,—

(क) किसी उभयलिंगी व्यक्ति को, सिवाय सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा से भिन्न, बलात्श्रम या बंधितश्रम के कार्य में लगाने के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(ख) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक स्थान में मार्गाधिकार का प्रत्याख्यान करेगा या ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, जिस तक अन्य व्यक्तियों की पहुंच है या उसका उपयोग करने का उन्हें अधिकार है, के उपयोग करने से या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा;

(ग) उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ना कारित करेगा;

(घ) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई की अपहानि या क्षति करेगा या खतरे में डालेगा, चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो, या ऐसे कृत्य करेगा, जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग कारित करना, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग भी है,

अपराध और
शास्तियां।

कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

19. केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यूक विनियोग के पश्चात्, राष्ट्रीय परिषद् को ऐसी राशियां उधार देगी, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

20. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और न कि उसके अल्पीकरण में। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

21. इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई बाद अधियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

22. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 के अधीन कोई आवेदन किया जाएगा;

(ख) वह प्रक्रिया, प्ररूप और रीति तथा वह अवधि, जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पहचान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाएगा;

(घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप, अवधि और रीति;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित किए जाने वाले कल्याणकारी उपाय;

(च) धारा 10 के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाल सुविधाएं;

(छ) धारा 17 के खंड (ङ) के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के अन्य कृत्य;

(ज) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दानों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
